समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना 04/2017–18

माननीय सांसद श्री शरद यादव (राज्यसभा) द्वारा मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र बी0पी0 मंडल नगर भवन में निर्मित पत्रकार यूनियन समुदायिक भवन में फर्निचर/उपस्कर के अनुशंसा के आलोक में सामग्रियों की अधिष्ठापन हेतु मुहरबंद तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफों में आमंत्रित किया जाता है। टंकित एवं मुहर बंद निविदा दिनांक 21.07.2017 के 12 बजे मध्यहान् तक जिला योजना कार्यालय, मधेपुरा में प्राप्त की जायेगी एवं उसी दिन अपराहन् 02 बजे जिलास्तरीय क्रय समिति के सदस्यों एवं उपस्थित निविदादाताओं/ अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष सभी प्राप्त टंकित मुहरबंद निविदाओं को खोली जायेगी। निविदा की शर्ते मधेपुरा जिला के वेबसाईट http://madhepura.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। (जिलापदाधिकारी, मधेपुरा के निदेशानुसार)

आपूर्ति की जानेवाली फर्निचर/उपस्कर का नाम निम्नवत है:–

क्रमांक	फर्निचर/उपस्कर	संख्या	अभियुक्ति
1	पलंग	02	ISI mark (Branded)
2	गद्दा	02	ISI mark (Branded)
3	अलमारी	02	ISI mark (Branded)
4	पंखा	04	ISI mark (Branded)
5	कुर्सी (पेडसीट)	25	ISI mark (Branded)
6	टेबूल बड़ा	01	ISI mark (Branded)
7	टेबूल छोटा	01	ISI mark (Branded)
8	एयर कंडिसनर (1.5 टन)	01	ISI mark (Branded)
9	एयर कंडिसनर (1 टन)	01	ISI mark (Branded)
10	रिवाल्विंग कुर्सी	01	ISI mark (Branded)

जिला योजना पदाधिकारी
मधेपुरा।

निविदा की शर्ते:–

1. निविदा के साथ प्रतिभूति की राशि जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा के पदनाम से किसी राष्ट्रीय कृत बैंक पर भुगतेय राशि 10,000/–(दस हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा अस्वीकृत होने के उपरांत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संबंधित को वापस कर दिया जायेगा।
2. निविदा के साथ अद्यतन जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र एवं निर्धारित मानदंड के अनुसार अद्यतन प्रतिवेदन।
3. निविदा के साथ पैन/टैन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा के साथ विगत तीन वर्षो का आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता द्वारा संबंधित फर्म के काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के साथ सभी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा साथ ही निविदा के समय अभिप्रमाणित प्रति की मूल प्रति साथ लाना होगा।
7. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है कि इस निविदा मे अंकित सभी शर्ते मान्य है।
8. तकनीकी एवं वित्तीय अलग–अलग लिफाफे में मुहरबंद/सीलबंद कर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना होगा।
9. जिन निविदादाता के तकनीकी निविदा में सभी वांछित कागजात संलग्न होगा उन्ही के वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा, शेष के वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
11. निर्गत आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्ति किये गये समग्रीयों की जांच महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा के भौतिक सत्यापन/जांच संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर सामग्रियों को स्वीकार एवं भुगतान किया जायेगा।
12. निविदादाता को किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
13. स्वीकृत न्यूनतम दर पर संबंधित निविदादाता/आपूर्तिकर्ता के साथ एकरारनामा करने के उपरांत आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को अलग से कोई परिवहन व्यय/ अन्य व्यय देय नहीं होगा।
14. आपूर्ति किये गये सामग्रियों के अधिष्ठापन के उपरांत एक वर्षो तक रखरखाव की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
15. किसी भी या सभी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/रदद् करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा।

ह0/
जिला योजना पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 362 /जि0यो0 मधेपुरा दिनांक 03/07/2017

प्रतिलिपि:– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

ह0 03.07.17

जिला योजना पदाधिकारी
मधेपुरा।